

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रा०-२५

राष्ट्रीय पार्क से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित पेयजल योजना की राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी लगभग 10 कि०मी० है। इस पेयजल योजना के निर्माण से वन्य जीवों को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी।


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि०गड०।


अधिसूची अभियन्ता
उत्तर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि०गड०।

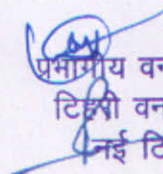

वन अधिकारी
टि०गड० रा०
न० टि०गड०

परियोजना का नाम :- चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-25

प्रस्तावित स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल के समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य राजाजी नेशनल पार्क है जिससे प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी 10.00 किमी0 से अधिक है।


प्रभारी वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-26

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी० की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।


मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-27

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


वन क्षेत्र अधिकारी
टिब्ररी राखि
नई दिल्ली

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप - 28

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है नगर पालिका चम्बा हेतु चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण से नगरवासियों व आम जनता को कोई आपत्ति नहीं है। इस पेयजल योजना का निर्माण जनहित में होना है। जिसके लिये चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु नगरवासी पूर्ण सहयोग करेंगे।

चर्चा के उपरान्त नगर पालिका चम्बा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका चम्बा के नगर वासियों को चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।


अधिशायी अधिकारी नगरपालिका
नगरपालिका, चम्बा
टिहरी गढ़वाल

ह०/- 
अध्यक्ष
नगर पालिका, चम्बा
(टिहरी गढ़वाल)

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-29
(5.00 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू)
Cost Benefit Ratio Chart

Block:- Chamba

Disti:- Tehri Garhwal

SL. No.	Particulars	Amount	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction Cost of Project		
(B)	N.P.V. Amount to be disposed @ 9.20 lak/Hararc 5 x 9.20 =		
(D)	Substitute/Alternation Planlation Cost to be Disposed:-		
	Total		
2	Benefits:- Bebefits from (Taking Age of Road As 50 Years)		
(A)	Economics Benefits-Market Development Taking		
(B)	Direct Employment of Labours-		
(C)	Employment Generation Due to other activities		
Note	Therefore construction of Economically Viable and social benfcifial.		

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Nature of Proposal

Annexure-VI (B)

Sl.no.	Parameters	Roads Tr. lines & Raliway line
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annul basis, including loss of man hours per annum of people who derived livelihood and wage from the harvest of these commodities	
2	Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder	
3	Cost of human resettlement	
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	
6	Suffering to oustees	Nil

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Nature of Proposal

Annexure-VI (C)

Sl.no.	Parameters	Roads Tr. lines & Raliway line
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	
2	Benefits to economy	
3	No. of population benefited.	
4	Employment potential.	
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	